

फैक्ट शीट

1. प्रभावित भूमि की वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है० में) :-

आरक्षित वन भूमि (वन विभाग)	—	है०
वन पंचायत भूमि	—	है०
सिविल सोयम भूमि	—	है०
निजी / नाप भूमि	—	है०
योग	—	है०
2. प्रस्तावक विभाग का नाम **—Vindhya Telelinks Limited, EPC Division,
Industrial Area,
Mohali(Punjab)**
3. वन प्रभाग का नाम वन प्रभाग
4. प्रस्ताव बाईंडिंग किया है। — हाँ / नहीं
5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है। — हाँ / नहीं
6. क्या भारत सरकार द्वारा निर्धारित के प्रारूप के भाग— 1, 2 व 3, के सभी बिन्दुओं की भरी गई है। — हाँ / नहीं
7. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है। — हाँ / नहीं
8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है। — हाँ / नहीं
9. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची / प्रमाण—पत्र संलग्न है। — हाँ / नहीं,
10. बॉज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण—पत्र संलग्न है। — लागू नहीं।
11. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है। — लागू नहीं।
12. समरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची है। — लागू नहीं।
13. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है। — हाँ / नहीं
14. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण—पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है। — (लागू नहीं है)
15. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है। — लागू नहीं।
16. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / परियोजना स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण योजना संलग्न है। — हाँ / नहीं
17. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। — हाँ / नहीं
18. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है यदि हाँ तो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक का प्रमाण—पत्र संलग्न है। — हाँ / नहीं
19. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा

गया है।

हॉ / नहीं

20. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनारया जाना है, तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें। - हॉ / नहीं
21. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है। - हॉ / नहीं
22. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है। - हॉ / नहीं
23. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है। - हॉ / नहीं
24. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्व स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाये। - हॉ / नहीं
25. सड़क निर्माण हेतु तलासी गयी अन्य सम्भावनाएँ / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र मानचित्र पर दर्शाये गये हैं। - हॉ / नहीं
26. वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय) - हॉ / नहीं
27. लागत-लाभ विशलेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5.00 है0 से अधिक के प्रकरणों में लागू) - हॉ / नहीं (लागू नहीं है)
28. मानचित्र व बारचार्ट में एकरूपता है - हॉ / नहीं
29. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है - हॉ / नहीं
- अथवा
- मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है। - हॉ / नहीं
30. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है। - हॉ / नहीं
31. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटों प्रतियां मूल में संलग्न है यदि छायाप्रतियां संलग्न की गयी हैं। - हॉ / नहीं
32. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है। - हॉ / नहीं
33. वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है। - हॉ / नहीं
34. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है - हॉ / नहीं
35. क्या बैंक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न है। - हॉ / नहीं

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट बैंक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र / सूचनाएँ संलग्न कर दी गयी हैं।

ह0/-
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/-
प्रमाणीय वनाधिकारी



For Vindhya Telelinks Ltd.

Vaishnav Shah
E-LINK Project

प्रमाणित वनाधिकारी
कन्सोडा वन प्रभाग जलमोक्ष